

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त - सितम्बर, 2001 सत्र

वैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त, 2001 (भाड 9, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रवन्नोच्चर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के जनपद पंचायत बीना में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्य किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री नरेन्द्र मिश्रा, नरेन्द्र बिरथरे, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, खालियर जिले के डबरा व भितरवार के निवेदी व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा कार्यबाही किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री पी.सी.शर्मा, अनुप मिश्रा, सदस्य, भोपाल के भोजयैट टैप्ट परियोजना का लाभ जनता को न मिलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) डॉ. आई.एम.पी. बर्मा, श्री लेजसिह सेधव, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम मेहरीखेड़ा में आदिवासियों पर गोली चालन की घटना से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम चिंचती निवासी एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, अनुप मिश्रा, सदस्य, दमोह जिला जैल से लीन कैदियों के करार होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जैल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, सदस्य, गुना जिले के ग्राम पंचायत मावन की अनुसूचित जाति की महिलाएँ सरपंच के साथ मारपीट की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री लेजसिह सेधव, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के पञ्चमी में आयोजित शिविर में अव्यवस्था से कई छात्रों के बीमार होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के रहली भेत्र में पशुओं में मुहूपक्ष रोग का प्रकोप होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, सदस्य, रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित मैक्सिन हैन्पथ केयर प्रायवेट लिमिटेड में कार्यरत महिलाओं को सेवा से पृथक किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, सदस्य, रायसेन जिले के दीवानगंज स्थित केमिकल्स कारखाने से जहरीली गैस रिसने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री शिवप्रसाद सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का अइलीसवां, उनतालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां एवं बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का वसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(१) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले के -

- (क) ग्राम भोगाँवा स्थित माध्यमिक शाला का उच्चयन कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम पंचायत भोगाँवा के कृषकों की अधिगङ्गीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

(२) श्री धूलसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

- (क) नरसिंहगढ़-बेरसिया मार्ग से ग्राम हिनोती तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम शेसला में प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल के लिए भवन निर्माण कराये जाने,

(३) श्री लालसिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम एण्डोरी में हाई स्कूल खोले जाने,

(४) सुश्री कुम्सुमसिंह, सदस्य, पचा जिले के ग्राम जिंगदहा में हाई स्कूल खोले जाने,

(५) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

- (क) ग्राम पिपराही मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ख) ग्राम पिपराही स्थित हाई स्कूल का उच्चयन कराये जाने,
(ग) ग्राम पिपराही से जड़कुड़ि तथा पिपराही से बहेराडाबर तक सड़क बनाये जाने,
(घ) ग्राम भलौगाँव में हाई स्कूल खोले जाने,
(ङ) ग्राम जड़कुड़ि स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उच्चयन कराये जाने,
(च) हनुमना-शाहपुर-बहुतीफाल मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; तथा
(छ) ग्राम भलौगाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

श्री हरवंश सिंह, बन मंत्री, मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

6. अशासकीय संकल्प

निर्धारित

समय

(१) श्री नरेश सिंह पठेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

१ घन्टा

"सदन का मत है कि प्रदेश में पौलीर्थीन की शीली एवं बैग के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाय।"

(२) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

१ घन्टा

"सदन का मत है कि प्रदेश में कन्या भूणहत्या की लेजी से अद्य रही प्रवृत्ति के कारण एम.टी.पी. एकट, 1971 का दुरुपयोग रोकने हेतु शासन द्वारा प्रभावी पहल की जाय।"

(३) श्री राजेन्द्र भारती (दत्तिया), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

३० मि.

"सदन का मत है कि प्रदेश में रेडकॉम संस्था द्वारा एकत्रित धनराशि का उनके अध्यक्षों द्वारा अन्यत्र खर्च पर रोक लगाई जाय।"